<u>पंचायतों का पुनर्गठन:-</u>

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन के अनुमोदन प्रस्तावों को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा अनुमोदन पश्चात् राज्य में कुल 47 पंचायत समितियां नवसृजित, 64 पंचायत समितियां पुनर्गठित तथा 723 ग्राम पंचायतें नवसृजित, 1423 ग्राम पंचायते पुनर्गठित किये जाने की अधिसूचना दिनांक 05.11.2014 को जारी की गई है।

<u>पंचायत चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों हेतु शौचालय की अनिवार्यता:-</u>

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभयर्थी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय हो एवं परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाएं, इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 1) के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) की धारा 19 में संशोधन करते हुए नया खण्ड अन्त:स्थापित करने बाबत अधिसूचना दिनांक 08.12.2014 को जारी कर दी गई है।

<u>पंचायत चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता:-</u>

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु निम्नानुसार संशोधन किए गए है:-

- जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण,
- अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो,
- एवं अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न् पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो,

इस बाबत राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 2) के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) की धारा 19 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 20.12.2014 को जारी कर दी गई है।